



प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गुरुवार को बीकानेर जिले के देशनोक में अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत देशभर के 103 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों को उद्घाटन किया। इस अवसर पर राज्यपाल हरिभाऊ बागडे, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, केन्द्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, केन्द्रीय कानून एवं न्याय राज्य मंत्री अर्जुनराम मेघवाल मौजूद रहे।

प्रधानमंत्री ने देशनोक में 1 0 3 रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन किया

उन्होंने बीकानेर वासियों को बीकानेर-मुम्बई एक्सप्रेस ट्रेन की सौगात दी

देशनोक, 22 मई। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गुरुवार को बीकानेर जिले के देशनोक में अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पुनर्विकसित रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करते हुए देशभर के 103 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों को राष्ट्र को समर्पित किया।

इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने देशनोक रेलवे स्टेशन से हरी झंडी दिखाकर बीकानेर-मुंबई एक्सप्रेस ट्रेन की सौगात भी दी।

उद्घाटन समारोह के दौरान प्रधानमंत्री मोदी बच्चों से भी मिले और

वन रक्षक पेपर लीक में तीन और गिरफ्तार

जयपुर, 22 मई। स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (एसओजी) ने वनरक्षक पेपर लीक मामले में कार्रवाई करते हुए, वनरक्षक उमाराम, प्यारी व दलाल रोश कुमार को गिरफ्तार किया है। एसओजी की टीम पछताछ करने में जुटी है।

अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक एटीएस और एसओजी वीके सिंह ने

- अति. पुलिस महानिदेशक वी.के. सिंह ने बताया कि वन रक्षक उमाराम व प्यारी कुमारी को परीक्षा से पहले पेपर पढ़ाया तथा दलाल रमेश कुमार ने पेपर पढ़ने की एवज में ओठ लाख रुपये प्राप्त किये।**

बताया कि 12 मार्च 2025 को कंवरा राम जाट को गिरफ्तार किया गया था। जिससे पछताछ में सामने आया कि उसने वनरक्षक उमाराम व प्यारी कुमारी को 13 नवंबर 2022 का वन रक्षक परीक्षा का पेपर परीक्षा से पूर्व उदयपुर में पढ़ाया था। पेपर पढ़ने वाले वन रक्षक उमाराम व प्यारी कुमारी को जांच पड़ताल के बाद गिरफ्तार किया गया। आरोपी उमाराम ने वन रक्षक भर्ती परीक्षा का पेपर पढ़ने की एवज में वांछित आरोपी जबरामराम जाट को 1 लाख रुपये व प्यारी कुमारी के भाई वांछित आरोपी हीराराम ने अपनी बहिन के पेपर पढ़ने की एवज में वांछित आरोपी जबराराम जाट को 3 लाख रुपये दिया। इसके अतिरिक्त, पूर्व में गिरफ्तार वनरक्षक टिगो के दलाल रोश कुमार को वनरक्षक का पेपर पढ़ने की एवज में उसके भाई महेन्द्र से 8 लाख रुपये प्राप्त कर, अपने मित्र कंवरा राम चौधरी स्टेशन मास्टर के माफ़त, एन डी सारण को 7 लाख रुपये दिये थे, उसे भी गिरफ्तार किया गया। सभी आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया, जहां कोर्ट ने पछताछ के लिए 26 मई तक रिमांड दिया है।

अब हर आतंकी...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

थी। अब इस बार जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो उसके बाद मेरी पहली जनसभा फिर यहां राजस्थान के बीकानेर में आप सभी के बीच हो रही है। राजस्थान की वीरभूमि के तप से ही ऐसा संयोग बना है। सभा को सम्बोधित करते हुए केन्द्रीय कानून एवं न्याय राज्यमंत्री अर्जुनराम मेघवाल ने बीकानेर की धरती पर प्रधानमंत्री का स्वागत किया और कहा कि मोदी देश के पहले प्रधानमंत्री हैं, जो मां करणी के मंदिर में दर्शन करने आए हैं।

कार्यक्रम का शुरुआत में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रधानमंत्री मोदी का साफा पहनाकर और प्रतीक चिन्ह स्वरूप चरखा भेंट कर स्वागत किया। स्वयं सहायता समूह की सदस्या सुमित्रा, अर्जुन अवाडी मगन सिंह राजवी एवं कर्नल हेमसिंह ने भी प्रधानमंत्री का स्वागत किया। कार्यक्रम में राज्यपाल हरिभाऊ बागडे, पूर्व मुख्यमंत्री वसुन्धरा राजे, उप मुख्यमंत्री दीपा कुमारी, उप मुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैवा, भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ सहित, राज्य के कई मंत्रीगण सांसद एवं विधायकगण और बड़ी संख्या में आमजन उपस्थित थे।

राष्ट्रदूत हिन्दू संयुक्त परिवार की ओर से सोमेश शर्मा द्वारा ज्वाइंट मीडिया, आजाद मार्ग, मैन रोड, आयड, उदयपुर से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-राजेश शर्मा, आर.एन.आई. नं. 57928/93 जयपुर कार्यालय: सुधर्मा एम.आई.रोड, जयपुर। फोन: 2372634, 4103333-34, फैक्स : 0141-2373513 कोटा कार्यालय : पलायथा हाऊस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन: 2386031, 2386032 फैक्स:0744-2386033 बीकानेर कार्यालय : कुमाना हाऊस, हनुमान नहरा, बीकानेर। फोन: 2200660, फैक्स 0151-2527371 अजमेर कार्यालय: राष्ट्रदूत भवन, चुंगी नाका के पास, अजमेर। फोन: 2627612, फैक्स:0145-2624665 जालौर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्ट्रियल एरिया, फेस प्रथम, जालौर। फोन 226422,226423, फैक्स: 02973-226424 हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600 चूरू कार्यालय : एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन : 256906, 256907, फैक्स: 01562-256908



प्रधानमंत्री के नेतृत्व में रखी जा रही है नये भारत की नींव-भजनलाल

मुख्यमंत्री भजनलाल ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना के शौर्य से पूरा देश गौरवान्वित हुआ है

बीकानेर, 22 मई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास' के संकल्प ने एक नए भारत की नींव रखी है।

शर्मा, जिले के पलाना में आयोजित जनसभा को सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने प्रधानमंत्री को ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर बधाई देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में नए भारत की सैन्य ताकत ने पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों और एयरबेसों को मिट्टी में मिला दिया। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पूरा देश भारतीय सेना के शौर्य से गौरवान्वित हो उठा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने सीमावर्ती क्षेत्र के गांवों के लिए वाइफ़्ट विलेज कार्यक्रम-2 के लिए स्वीकृति प्रदान की है, जिससे सीमावर्ती गांवों के लोगों को मुख्य धारा में लाकर उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाने एवं आजीविका के पर्याप्त अवसर

- रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में 11 साल में 34 हजार किलोमीटर लम्बी रेल पटरियाँ बर्नीं, जो जर्मनी के कुल रेल नेटवर्क से बड़ा है।**

प्रदान करने का कार्य किया जा सकेगा। मुख्यमंत्री ने राम जल सेतु लिंक परियोजना और यमुना जल समझौते की सीमात के लिए प्रदेशवासियों की ओर से प्रधानमंत्री का विशेष आभार प्रकट किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री का मानना है कि देश में गरीब, युवा, अन्नदाता, महिला- केवल चार जातियां हैं। इसी मंशा के अनुरूप, राज्य सरकार

नाबालिग से दुष्कर्म करने...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में कहा गया था कि वह सुबह मजदूरी करने गया था। तभी करीब 11 बजे उसकी पत्नी ने उसे घर बुलाया और बताया कि पड़ौसी विजय ने उसकी नाबालिग बेटी की अश्लील वीडियो व फोटो सोशल मीडिया पर डाल दिये हैं। परिजनों के पूछने पर पीड़िता ने बताया कि एक महीने पहले जब घर पर कोई नहीं था तो विजय ने उसे अपने कमरे पर किसी काम के बहाने से बुलाया था। इस दौरान ही उसने परिजनों को जान से मारने की धमकी देकर उसके साथ दुष्कर्म किया और इसका वीडियो बना लिया। वह फोटो व वीडियो को वायरल करने की धमकी देकर और संबंध बनाना चाहता था, लेकिन पीड़िता ने मना कर दिया। इस पर उसने 19 जून को इन्हें सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। इसकी जानकारी पड़ौस में रहने वाले अन्य लड़के ने दी। पुलिस ने रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया।

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

इस प्रोजेक्ट से संबंधित थी।

एजेंसी द्वारागत वर्ष तलाशी अभियान चलाये जाने के बाद, मलिक ने भ्रष्टाचार के आरोपों का खंडन किया था।

मलिक ने कहा था कि जिन लोगों के बारे में उन्होंने (मलिक) शिकायत की थी तथा जो भ्रष्टाचार में लिप्त थे। उनकी जांच-पड़ताल किये जाने के बजाय, सी बी ए की एल की 47 वीं बोर्ड मीटिंग रेड डाली है। उन्होंने ऑनलाइन पोस्ट किया था, “उन्हें (सी बी आई को) 4-5 कुर्तों-पाजामा के सिवाय और कुछ नहीं मिलेगा। तानाशाह सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग करके, मुझे डराने की कोशिश कर रहा है। मैं किसान को बेठा हूं, मैं न तो डरूंगा और न झुकूंगा।” केन्द्रीय एजेंसी ने ‘चिनोब

वैली पावर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड (सी बी पी पी पी एल) के तत्कालीन चेयरमैन नवीन कुमार चौधरी, तथा अन्य अधिकारियों, जिनमें एम एस बाबू, एम के भित्तल तथा अरुण कुमार मिश्रा शामिल हैं, के अलावा निर्माण-फर्म पटेल इंजीनियरिंग लिमिटेड को आरोपी बनाया है। एफ आई आर में आरोप लगाया गया है, “उस समय चल रही टेन्डरिंग प्रक्रिया के रह हो जाने के बाद, सी बी पी पी पी एल की 47 वीं बोर्ड मीटिंग में ई-टेन्डरिंग और रिवर्स ऑक्शन के जरिये फिर से निविदा आमंत्रित करने का निर्णय लिया गया था, लेकिन (48 वीं बोर्ड मीटिंग में लिए एये निर्णय के अनुसार) उस निर्णय को क्रियान्वित नहीं किया गया था तथा अनंततागत्वा, टेन्डर पटेल इंजीनियरिंग लिमिटेड को दे दिया गया था।”

वक्फ एक्ट पर अंतरिम स्टे देने पर सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय सुरक्षित किया

जैसा कि विदित ही है, तीन दिन सुप्रीम कोर्ट में घमासान

बहस चली इस “स्टे” की माँग पर

-जाल खंबाता-

-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 22 मई। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 की कुछ विवादस्पद धाराओं के क्रियान्वयन पर अंतरिम रोक लगाने की मांग वाली याचिकाओं पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया, चुनौती उत प्रावधानों को लेकर दी गई है, जिनमें “उपयोग द्वारा वक्फ (वक्फ बाई यूजर) सम्पत्ति, केन्द्रीय वक्फ परिषद और राज्य वक्फ बोर्डों में गैर-मुस्लिमों को शामिल करने, और बिना उचित कानूनी प्रक्रिया के “विवादित” वक्फ संपत्तियों को छीनने जैसी व्यवस्थाएँ शामिल हैं, जिन्हें संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 के तहत प्रदत्त धार्मिक स्वतंत्रता के खिलाफ

- कपिल सिब्बल, राजीव धवन, अभिषेक मनु सिंघवी, हुजेफा अहमदी, चंदर उदय सिंह आदि सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकीलों ने इस बहस में भाग लिया है।**

- रिट दायर करने वाले की ओर से कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी आदि ने दलील दी कि वक्फ एक्ट में संशोधन करने से मुसलमानों के साथ “डिस्क्रिमिनेशन” होगा।**

माना जा रहा है।

मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवंई और न्यायमूर्ति आंगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने 20 मई से शुरू हुई तीन दिवसीय लंबी बहसों के बाद गुरुवार को फैसला सुरक्षित रखा। याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल, राजीव धवन, अभिषेक मनु

एटा में भारी आंधी तूफान, 5 की मौत

एटा, 22 मई। उत्तर प्रदेश के एटा जिले में पिछले 24 घंटे के दौरान आंधी और वर्षा जलित हादसों में कम से कम पांच लोगों की मृत्यु हो गयी।

पुलिस सूत्रों ने गुरुवार को बताया कि एटा के जलेसर तहसील क्षेत्र में एक बायो डीजल को फैक्ट्री की टीनशेड गिरने से उसके नीचे दबकर फैक्ट्री मालिक विवेक प्रताप सिंह (37) एवं उसके कर्मचारी पुष्पेंद्र ऊर्फ पप्पू (43) की मौत हो गयी। एटा की अलीगंज तहसील क्षेत्र के जैथरा थाना क्षेत्र के उदयपुरा गांव में टीन शेड गिरने से उसके नीचे दबकर 19 वर्षीय सुरेन्द्र कुमार सिंह की मौत हो गयी।

जारी करते हुए कहा कि वह इस मामले की अगली सुनवाई गर्मी को छुट्टियों के बाद करेगा।

तमिलनाडु सरकार ने ईडी ओर से सरकारी शराब खुदरा विक्रेता तमिलनाडु राज्य विपणन निगम के परिसरों में जांच के दौरान की गई छापेमारी की वैधता को चुनौती दी थी।

मद्रास उच्च न्यायालय ने 23 अप्रैल, 2025 को राज्य सरकार की याचिका खारिज कर दी थी और ईडी को कार्रवाई को हरी झंडी दे दी थी। उच्च न्यायालय ने ईडी को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत कार्रवाई जारी रखने की अनुमति दी।

एक बार फिर विदेश...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

ऐसे माहौल में अगर भारत अमेरिका के दावे को सीधे खारिज करता है, तो डॉनल्ड ट्रंप का उग्र प्रशासन इसे हल्के में नहीं लेगा। जयशंकर बार-बार यह दोहराते रहे हैं कि भारत-पाक संघर्ष केवल तब रुका, जब पाकिस्तान के सैन्य अभियानों के प्रभारी जनरल ने भारतीय समकक्ष को सीधे कॉल किया।

इस प्रकार, भारत को अमेरिकी नाराजगी का सामना करना पड़ सकता है। अमेरिका की सबसे खतरनाक प्रतिक्रिया यह हो सकती है कि वह पाकिस्तान को फिर से सैन्य सहायता

और हथियार देना शुरू कर दे, भारत की स्वतंत्र नीति को सजा देने के लिए। अब देखना यह होगा कि अमेरिका अपनी नाराजगी किस हद तक ले जाता है। लेकिन यह लगभग तय है कि प्रतिक्रिया अवश्य आएगी। ऐसे में भारत को हर संभावित परिदृश्य के लिए तैयार रहना चाहिए।

हालाँकि, भारत जैसे विशाल और महत्वपूर्ण देश को अपनी मूल नीतियों और राष्ट्रीय हितों से पीछे नहीं हटना चाहिए-चाहे धमकी दुनिया के बससे शक्तिशाली देश से हो क्यों न मिले रहा हो।

विवाह के तीन माह ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

पिता की तरह, आगामी जीवन में उसका संरक्षण करेगा।

विवाह के बाद प्रारंभिक वर्ष में दंपति इन सुखद सपनों के साथ भविष्य की नींव तैयार करते हैं, लेकिन इस मामले में अभियुक्त का कृत्य अपनी पत्नी के प्रति ऐसा रहा कि उसके पास विवाह के तीन माह बाद ही आत्महत्या करने के अलावा कोई विकल्प नहीं रहा। ऐसे में अभियुक्त को कोठारमन दंड से दंडित करना उचित है।

अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक नरेश गजराज ने अदालत को बताया कि अभियुक्त विकास की 12 जून, 2017 को किरण के साथ सामूहिक विवाह सम्मेलन में शादी हुई थी। शादी के

पाकिस्तान ने एक भारतीय राजनयिक को देश छोड़ने को कहा

इस्लामाबाद, 22 मई। भारत के दिल्ली स्थित पाकिस्तान उच्चायोग के एक राजनयिक को देश छोड़ने का आदेश दिये जाने के 24 घंटे के अंदर ही पाकिस्तान ने गुरुवार को जवाबी कदम उठाते हुये, यहां स्थित भारतीय उच्चायोग के एक कर्मचारी को अवांछित घोषित कर पाकिस्तान छोड़ने को कहा है।

पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के अनुसार, संबंधित कर्मचारी को विशेषाधिकार से विपरीत गतिविधियों में लिप्त पाया गया है।

पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने भारतीय उच्चायोग के एक वरिष्ठ अधिकारी को विदेश मंत्रालय में बुलाकर उसे सरकार के इस निर्णय से अवगत करा दिया है। इस राजनयिक को 24 घंटे के अंदर पाकिस्तान छोड़ने को कहा गया है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारतीय उच्चायोग का कोई भी अधिकारी उसे प्राप्त विशेषाधिकार का किसी भी तरह दुरुपयोग नहीं कर सकता।

गौरतलब है कि बुधवार को भारत ने दिल्ली स्थित पाकिस्तान उच्चायोग के एक कर्मचारी को अवांछित घोषित करते हुये, उसे 24 घंटे के अंदर देश छोड़ देने को कहा था।